

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम _____

बाही अन्तर्गत _____

जार्जिन पर

209

सन् 2020

मुकदमा _____

नं. _____

सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>11/11/2020 00373</p>	<p>पत्रावली प्रशासन गांवों के लगे अधिघात 2021 के तहत गा.प. लामरी पर अधिघात धरि के अन्तर्गत हेतु लामरी गा.प. के अन्तर्गत प्रशासन कि.प. (जर्जिन) गा.प. मेडीका अन्तर्गत प.ह. लामरी (स्थित स्वतन्त्र आराजी) (खण्ड 207, 263 कीता 2 रकब 0.5800 हे. भूमि की पत्थरगदी बनाना चाहते हैं। पत्रावली में लामरी गा.प. मेडीका अन्तर्गत की नकल जमा करके खण्ड 2070-2073 अनुसार उक्त आराजीपत्र जर्जिन के वि.प. 10 के नाम स्वतन्त्र हक के रूप में है। उक्त जर्जिन का जर्जिन पर अधिघात धारा 128 पर धरि कि.प. जाकर गा.प. मेडीका अन्तर्गत प.ह. लामरी (स्थित आराजी) (खण्ड 207, 263 कीता 2 रकब 0.5800 हे. भूमि की वि.प. कि.प. के कहे से दरकलगाजी कि.प. सेटलमेन्ट नम्बरो अनुसार पत्थरगदी कि.प. के आदेश दि.प. है। (अभिज्ञर शुल्क 500000 रु.प. इससे पांच से रु.प. जर्जिन वहन कर में पालनान्नी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिख जावे कि पत्रावली को लिखित सूचना देकर नि.प.ानुसार पत्थरगदी कि.प. जावे एवं पालनान्नी रिपोर्ट आराजी में प्रकृत करें। पत्रावली के लाल शुमार होकर नम्बर ले कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर विश्वा) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

